बिहार मानवाधिकार आयोग (बी0एच0आर0सी0)

9, बेली रोड, पटना

संचिका संख्या– BHRC/Comp.–7174/18

हीरा सहनी से संबंधित मामला

परिवादीगण, हीरा सहनी एवं उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी उपस्थित हैं।

सुना।

प्रसंगाधीन मामला सूचक बूंदी सिंह के पुत्र अवधेश कुमार (HR 38L-6753 ट्रक के चालक) की हत्या कर ट्रक पर लदे माल सहित ट्रक को लूट लेने से संबधित भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302/392(आरोप–पत्र में परिवर्त्तित भा0द0स0 की धारा 396) के अंतर्गत संस्थित पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत चकिया थाना कांड संख्या 06/12, दिनांक 08.01.2012 के अन्तर्गत परिवादीगण (हीरा सहनी व उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी) को बिना किसी ग्राह्य/युक्तिसंगत साक्ष्य के आधार पर उक्त कांड के अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0 विनय कुमार सिंह (वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, मुंगेर जिला बल) द्वारा दिनांक 14.12.2017 को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन–4 में परिवादीगण को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने हेतु न्यायालय में अविलंब प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश देने के बावजूद भी अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0 विनय कुमार सिंह द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर परिवादीगण के मानवाधिकार अतिक्रमण किये जाने से संबंधित है।

(2) परिवाद–पत्र, उक्त परिवाद पत्र पर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदन पर परिवादीगण के प्रत्युत्तर तथा आयोग के दिनांक 01.07.2020 के आदेश के आलोक में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदनानुसार मामले से संबधित तथ्य निम्नलिखित है :–

(क) प्रसंगाधीन कांड के मृत्तक के पिता, बूंदी सिंह द्वारा दिनांक 08.01.2012 को चकिया थाना में इस आशय का एक लिखित प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि उसका 35 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र, अवधेश कुमार, दिल्ली स्थित गोयल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में ट्रक चालक का काम करता था। घटना के समय वह उक्त कम्पनी की ट्रक, जिसका निबंधन संख्या HR 38L-6753-6753 है, में चालक के रूप में काम कर रहा था। दिनांक 07.01.2012 को उपरोक्त कम्पनी के द्वारा उसे टेलिफोन कर सूचित किया गया कि उसके पुत्र अवधेश कुमार का शव बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत चकिया थाना क्षेत्र में NH-28 के किनारे पाया गया है। कम्पनी द्वारा यह भी बताया गया कि परिवादी का पुत्र अवधेश कुमार दिल्ली से जलपाईगुड़ी ट्रक ले जा रहा था। शव मिलने वाले स्थान के पास ट्रक नहीं था।

(ख) उपरोक्त आशय के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302/ 392 के अन्तर्गत चकिया थाना कांड संख्या–06/12, दिनांक 08.01.2012 संस्थित किया गया।

(ग) पर्यवेक्षण–सह–प्रतिवेदन–2 में प्रसंगाधीन कांड अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 302/392 के अन्तर्गत सत्य पाया गया है।

(घ) प्रगति प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन–03 से प्रसंगाधीन कांड में तीन अप्राथमिकी अभियुक्तों 1. अशोक कुमार गुप्ता, 2. विनोद कुमार झा एवं 3. विनय कुमार सिंह के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया।

(ड.) प्रतिवेदन–04 में प्रसंगाधीन कांड में पांच अप्राथमिकी अभियुक्तों 1. विनोद कुमार झा, 2. विनय कुमार सिंह, 3. अशोक कुमार गुप्ता, 4. भोला कुमार ऊर्फ रौशन, 5. योगेन्द्र सहनी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 के अन्तर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया। सत्य पाये गये दो अप्राथमिकी अभियुक्तों, भोला कुमार ऊर्फ भोला सहनी ऊर्फ रौशन कुमार तथा योगेन्द्र सहनी के पुलिस के समक्ष दिये गये संस्वीकृति बयानों के आधार पर परिवादीगण को 14.12.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उपरोक्त संस्वीकृति बयानों के अतिरिक्त परिवादीगण के विरूद्ध अन्य कोई साक्ष्य पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ और न ही उन दोनों का कोई आपराधिक इतिहास पाया गया।

(3) अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि परिवादी हीरा सहनी तथा अप्राथमिकी अभियुक्त योगेन्द्र सहनी (जिसके पुलिस के समक्ष दिये गये संस्वीकृति बयान के आधार पर परिवादीगण की संलिप्तता बतायी जा रही थी) आपस में गोतिया हैं तथा दोनों के बीच वर्ष–2009–10 से भूमि विवाद चल रहा है, जिसको लेकर अप्राथमिकी अभियुक्त योगेन्द्र सहनी द्वारा अपने अन्य भाईयों के साथ मिलकर परिवादीगण के साथ गंभीर रूप से मार–पीट किया गया था, जिसके संबंध में परिवादी हीरा सहनी के फर्द ब्यान के आधार पर अप्राथमिकी अभियुक्त योगेन्द्र सहनी तथा उसके भाईयों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 144/ 148/ 149/ 341/ 324/ 325/ 307/ 354/ 379 से सम्बन्धित मोतिपुर थाना कांड संख्या–384/17 संस्थित किया गया था। इसी रंजिश के कारण अप्राथमिकी अभियुक्त योगेन्द्र सहनी द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गये अपने संस्वीकृति बयान में परिवादीगण के

प्रसंगाधीन कांड में संलिप्तता का उल्लेख किया गया। **अनुसंधान में परिवादीगण की प्रसंगाधीन कांड में संलिप्ता नहीं पायी गयी तथा निर्दोष पाकर उनके विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित नहीं किया गया तथा अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0 विनय कुमार सिंह के विरूद्ध धारा 828 (C) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनके विरूद्ध आरोप–प्रारूप गठन करने का आदेश देते हुए उसे परिवादीगण को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने हेतु न्यायालय में अविलंब प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिया गया।**

(4) परिवादीगण का कथन है कि आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के निर्देश के बाद भी कांड के अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0 विनय कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने हेतु कोई आवेदन/प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया, अपितु परिवादीगण का नाम आरोप–पत्र के अनुप्रेषित अभियुक्तों की सूची में इस आधार पर दे दिया गया कि उनके विरूद्ध साक्ष्य नहीं पाया गया है। बाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध संख्या–28415/218 के अन्तर्गत दिनांक 09.05.2018 को पारित आदेश के आलोक में परिवादीगण को दिनांक 11. 05.2018 को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया।

(5) यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस के समक्ष किसी अभियुक्त के दिये गये बयान का कोई Evidentiary Value नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने कई न्याय निर्णयों में यह उल्लेख किया गया है कि किसी सहअभियुक्त के संस्वीकृति बयान को तब तक ग्राह्य नहीं माना जा सकता जब तक कि उक्त बयान के आधार पर कोई वस्तु/सामग्री प्राप्त नहीं होती है तथा अगर सहअभियुक्त के संस्वीकृति बयान के आधार पर कोई वस्तु/सामग्री प्राप्त भी होती है तो केवल

वस्तु/सामग्री के प्राप्ति से संबंधित संस्वीकृति बयान का अंश ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अर्न्तगत ग्राह्य माना जा सकता है।

(6) प्रसंगाधीन मामले में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि मात्र दो अप्राथमिकी सहअभियुक्तों के पुलिस के समक्ष लिये गये संस्वीकृति बयानों के अतिरिक्त परिवादीगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं था और ना ही बाद में भी कोई साक्ष्य पाया गया तथा इसी आधार पर पुलिस द्वारा परिवादीगण को निर्दोष पाकर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने हेतु न्यायालय में आवेदन देने का अनुसंधानकर्त्ता को पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा निर्देश दिया गया था लेकिन इसके बावजूद भी अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0 विनय कुमार सिंह (सम्प्रति पुलिस निरीक्षक, मुंगेर जिला बल) के विरूद्ध विभागीय जांच पुलिस अधीक्षक, मुंगेर द्वारा की जा रही है जिसके सम्बन्ध में आयोग द्वारा फिलहाल कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

(7) उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कांड के अनुसंधानकर्त्ता, जो एक पुलिस पदाधिकारी (लोक प्राधिकार) है, द्वारा जान–बूझकर परिवादी के मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया तथा उन्हें अनावश्यक रूप से बिना किसी ठोस आधार के अपने लोक कर्त्तव्य का गलत रूप से प्रयोग करते हुए दिनांक 14.12.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा बाद में परिवादीगण को माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिनांक 11.05.2018 को उन्हें जमानत पर न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया।

(8) **प्रसंगाधीन मामले में लोक प्राधिकार द्वारा परिवादीगण के मानवाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंधन किया गया है।**

(9) परिवादीगण का कथन है कि वे आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं तथा अत्यन्त पिछड़ी जाति के हैं तथा उन्हें कोई जमीन नहीं है। वे लोग दैनिक मजदूरी कर अपना भरण–पोषण करते हैं तथा वे दैनिक मजदूरी से प्राप्त आय से अपने दो पुत्रों तथा तीन पुत्रियों का भरण पोषण करते हैं।

(10) लोक प्राधिकार द्वारा परिवादीगण के साथ उनके मानवाधिकार के हनन को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरान्त परिवादीगण को आर्थिक क्षतिपूर्त्ति दिया जाना उचित समझती है तथा उक्त के संबंध में आयोग द्वारा **निम्नलिखित अनुशंशा की जाती है** :–

(क) **राज्य सरकार, परिवादीगण को संयुक्त रूप से क्षतिपूर्त्ति के रूप में 2,00000/–रुपये (दो लाख) की राशि का भुगतान, आदेश पारित होने के आठ सप्ताह के अन्दर, उन दोनों के संयुक्त बैंक खाते में किया जाना सुनिश्चित करे। वैसे राज्य सरकार बाद में क्षतिपूर्त्ति की उक्त राशि दोषी लोक प्राधिकार के वेतन से नियमानुसार वसुलने हेतु स्वतन्त्र है।**

कार्यालय, आज आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु **अपर मुख्य सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ जिला पदाध्किारी, मुंगेर/ पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ पुलिस अधीक्षक, मुंगेर** व परिवादीगण को प्रेषित करे तथा **दिनांक 24.11.2020 के पूर्व तक प्रसंगाधीन मामले में अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।**

संचिका दिनांक 02.12.2020 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक